आदर्श आचार संहिता

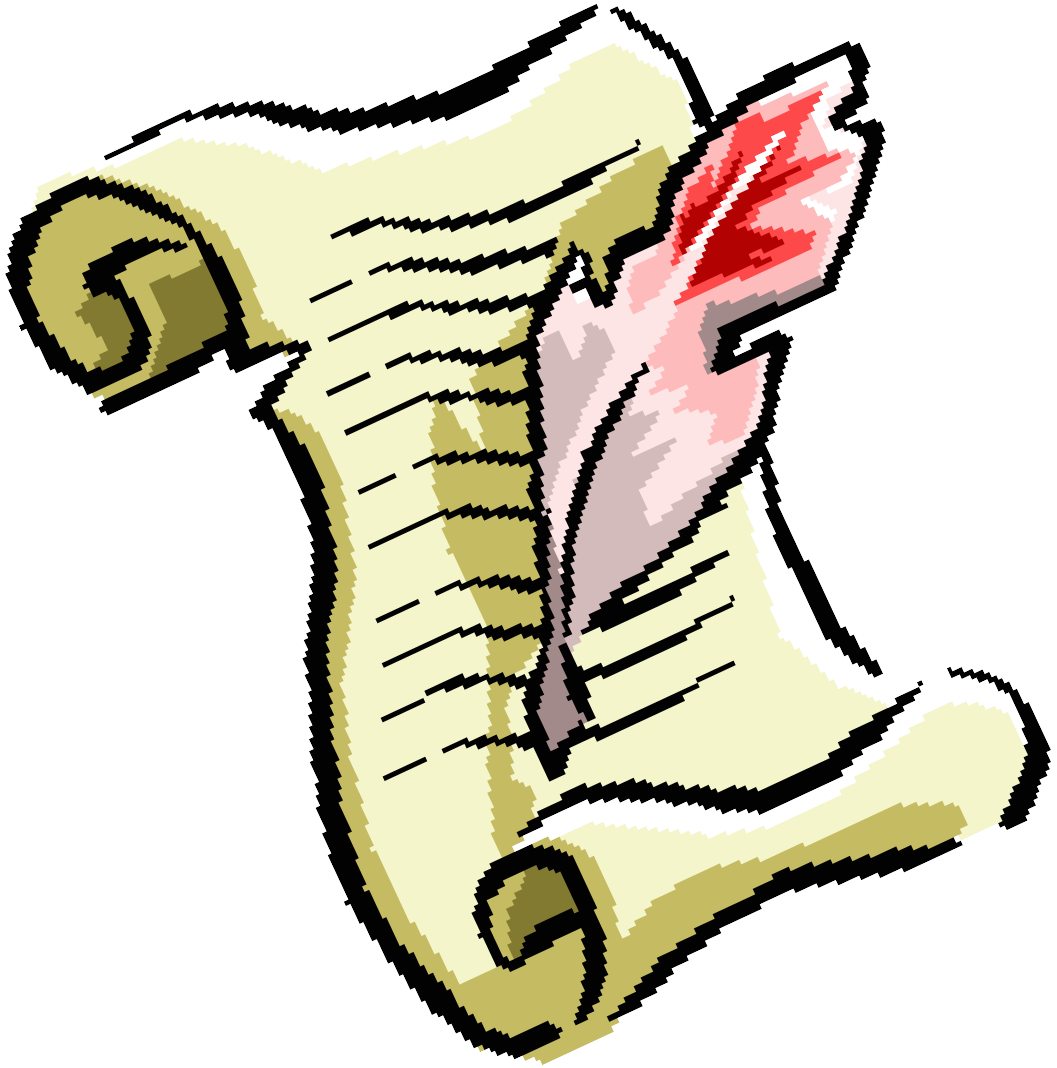

आदर्श आचार संहिता क्या है?

- **आदर्श** आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का एक संग्रह (set) है जो चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।

- यह संविधान के अनुच्छेद **324** को ध्यान में रखते हुए है जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है।

- **आदर्श** आचार संहिता उस तारीख से परिचालित **जिस तारीख से चुनाव की** घोषणा की जाती है।

आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य

- आर्दश आचार संहिता उस दिन से अस्तित्व में आता है जब भारतीय निर्वाचन आयोग ने आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा करता है जो कि चुनाव पूरा होने तक लागू रहेगा।

- निष्पक्ष चुनाव के आचरण के लिए एवं अनुकूल, स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए इसे विकसित किया गया।

- इसके अलावा, सभी पार्टियों के लिए एक समान स्तर पर चुनाव लडने का अवसर प्रदान करता है।

आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से बाध्यकारी है?

- आदर्श आचार संहिता कानून द्वारा लागू नहीं है। हालांकि, आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता, 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जैसे अन्य विधियों में संबंधित प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

आदर्श आचार संहिता के पीछे तर्क

- आदर्श आचार संहिता का एक दृश्यमान और कठोर प्रवर्तन चुनाव की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और हितधारकों / मतदाताओं को विश्वास दिलाता है।

- यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाता है।.

- यह सुनिश्चित करता है कि मतदाताओं के प्रतिरूपण, रिश्वत और प्रलोभन, मतदाताओं के लिए धमकी और धमकी जैसे चुनावी अपराध, कदाचार और भ्रष्ट प्रथाओं को हर तरह से रोका जाता है।

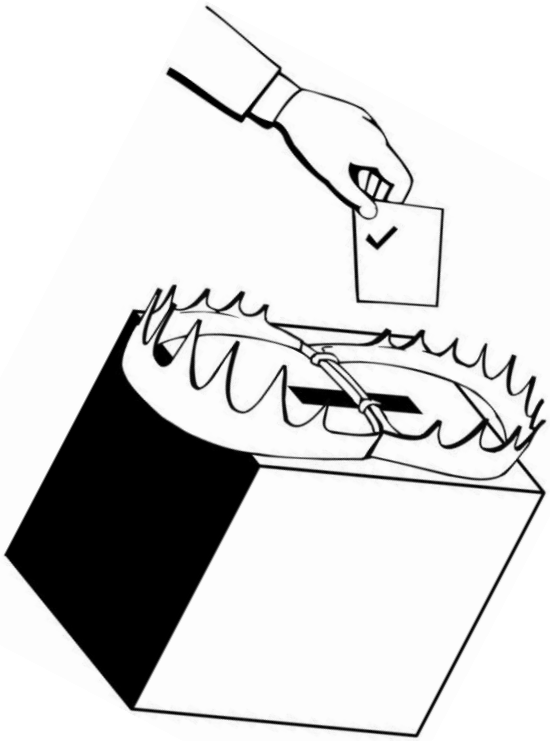

आदर्श आचार संहिता

प्रमुख बिन्दु

- कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्य का निष्पादन।
- कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्य पर प्रचार अभियान।
- सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति / हस्तांतरण / पोस्टिंग।
- राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा रेस्ट हाउस, डाक बंगला और अन्य सरकारी आवास का उपयोग।
- मंत्रियों / राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दौरे के संबंध में प्रावधान।
- आधिकारिक एयरक्राफ्ट / वाहन / झंडे आदि का उपयोग।
- लाउडस्पीकर का उपयोग।
- पुस्तिका, पोस्टर और अन्य मीडिया गतिविधियों का मुद्रण।

नोट- आयोग ने मॉडल कोड पत्र संख्या 437/6 / सीजी / 2014-सीसी और बीई दिनांक 2 9 -03 -2015 के प्रति दृश्य से सीधे रक्षा बलों से संबंधित सभी मामलों को छूट दी है

आदर्श आचार संहिता –

पुलिस अधिकारी एवं शासकीय कर्मचारियों के लिए

- चुनाव की घोषणा के साथ शुरू होने वाले चुनावों की अवधि के दौरान किसी भी आधिकारिक चर्चा के लिए संघ या राज्य का कोई भी मंत्री, निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के किसी भी संबंधित संबंधित अधिकारी को नहीं बुलाएगा।

- केवल अपवाद तब होगा जब एक मंत्री, संबंधित विभाग के प्रभारी के रूप में अपनी क्षमता में, या एक मुख्यमंत्री कानून और व्यवस्था की विफलता या प्राकृतिक आपदा या ऐसी किसी आपात स्थिति के संबंध में एक निर्वाचन क्षेत्र की आधिकारिक यात्रा करता है।

आदर्श आचार संहिता –

सभाएं

1. किसी पार्टी या दल की प्रस्तावित सभा के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को जानकारी हो।
2. स्थानीय पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी दल या पार्टी की सभा के स्थान पर कोई निर्बाधात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है। यदि ऐसे कोई आदेश लागू हो तो उसका कडाई से पालन करवाना चाहिए।
3. प्रस्तावित सभा के लिए दल या पार्टी द्वारा लाउड स्पीकर के उपयोग या अन्य किसी सुविधा के लिए सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा या अनुज्ञाप्ति प्राप्त की गई है या नहीं यह स्थानीय पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए।
4. सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से स्थानीय पुलिस को सख्ती से निपटना चाहिए तथा आयोजकों से मदद लेना चाहिए।
5. पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थाई अथवा गतिशील वाहनों पर लगे लाउड स्पीकरों का प्रयोग सुबह 06 बजे से पहले या रात 10 बजे के बाद और संबंधित अधिकारी की बिना पूर्व लिखित अनुमति के न किया जावे।

आदर्श आचार संहिता –

जुलूस

- स्थानीय पुलिस को जुलूस के आयोजन के पूर्व ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जायेगा तथा कहां जाकर समाप्त होगा।

- जुलूस के आयोजन स्थान, निकलने वाले मार्ग एवं जुलूस के समाप्ति स्थान तक पुलिस की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

- पुलिस को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिन इलाकों से हाकर जुलूस गुजरेगा उसमें कोई निर्बधात्मक आदेश तो लागू नहीं है जब तक समक्ष अधिकारी द्वारा जुलूस के लिए विशेष रूप से छूट न दी जाए तब तक निर्बन्धों का पालन होना चाहिए। इसके अलावा जुलूस के समय यातायात व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

आदर्श आचार संहिता –

जुलूस

- जुलूस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां तक हो सके जुलूस को एक तरफ ही रखा जाए।
- यदि हो पार्टियों के अलग अलग जुलूस एक ही रास्ते से निकलने वाले हो तो दनके समय में आशिंक परिवर्तन कर जुलूसों में शामिल लोगों के आपसी टकराव की संभावना से बचा जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता हुई तो राजनैतिक दलों के नेताओं से पुलिस अधिकारियों द्वारा संपर्क किया जा सकता है।
- पार्टियां यथासंभव उन स्थानों के पास, जहां दूसरे द्वारा सभाये आयोजित की जा रही है जुलूस न निकालें।
- जुलूस के दौरान यह सुनिश्चित करें कि किसी कार्यकर्ता के पास आग्नेय शस्त्र/ धारदार हथियार तो नहीं है।

आदर्श आचार संहिता-

राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा

- **आधिकारिक एजेंसियों और अन्य पेशेवर एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किए गए खतरे की धारणाओं के अनुसार सभी मंत्रियों और राजनीतिक दलों के अन्य सभी नेताओं को सुरक्षा की अनुमति दी जाएगी। इन व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली बुलेट प्रूफ कारों और अन्य सभी कारों पर व्यय संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। हालांकि, सुरक्षा कर्मचारियों पर व्यय संबंधित राज्य सरकार / UT प्रशासन द्वारा लिया जाएगा।**

- **(निर्देश सं. 63, चुनाव आयोग का पत्र संख्या 437/6/ GUJ/ 98-PLN-III दिनांक 16.01.1998)**

आदर्श आचार संहिता-

स्टार प्रचारक

- स्टार प्रचारक द्वारा अभियान को सावधानी से ट्रैक किया जाना चाहिए
- सीईओ और डीईओ को राजनीतिक दलों के प्रचारकों द्वारा किए गए उल्लंघनों के उदाहरणों को ट्रैक करने के लिए पार्टीवार रजिस्टर बनाए रखना चाहिए
- रिकॉर्ड सार्वजनिक डोमेन में भी लगाया जाता है ताकि इच्छुक पार्टियां इनपुट ले सकें
- (निर्देश SL.NO. 88, COI-2011, EC पत्र 437/6 / inst / 2008-CC&BE)
- सभी राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान के दौरान पोस्टर, बैनर इत्यादि की तैयारी के लिए प्लास्टिक / पॉलिथिन के उपयोग से बचने की कोशिश करनी चाहिए।
- (निर्देश SL.NO.44, EC पत्र संख्या 4/3/2004 / JSLI / VOI.I दिनांक 11.03.2004)

आदर्श आचार संहिता-

सरकारी गेस्ट हाउस

- राज्य गेस्ट हाउस, भवंस और सदन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जैसे पार्टी मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस और परामर्श (निर्देश SL.NO. 4, चुनाव आयोग का पत्र संख्या 437/6/98-PLN-III दिनांक 08.01.1 99 8)

आदर्श आचार संहिता-

सरकारी गेस्ट हाउस

- सरकारी स्वामित्व वाले गेस्टहाउस इत्यादि के परिसर के अंदर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा भी आकस्मिक बैठक की अनुमति नहीं है।
- अतिथि घर में आवंटित व्यक्ति को ले जाने वाला वाहन और व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकतम दो वाहनों को, गेस्ट हाउस के परिसर के अंदर अनुमति दी जाएगी।
- कमरों को किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।
- हालांकि, किसी विशेष क्षेत्र में मतदान के करीब 48 घंटे पहले, मतदान या पुन: मतदान पूरा होने तक इस तरह के आवंटन पर स्थिर हो जाएगा।

निर्देश एसएल सं 2011 की संख्या 72, चुनाव आयोग का पत्र संख्या 437/6/38/2004-PLN-III DATE 06.04.2004

आदर्श आचार संहिता-

सरकारी गेस्ट हाउस

- सरकारी अतिथि घरों में आवास दिया जा सकता है जहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चुनाव घोषित किया गया है जिन्हें ज़ेड + श्रेणी में राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, इस शर्त के अधीन कि इस तरह के आवास को चुनाव संबंधित अधिकारियों या पर्यवेक्षकों द्वारा आवंटित / कब्जा नहीं किया जाता है।

- सरकारी गेस्ट हाउस में रहने के दौरान कोई राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

COI -2011 के निर्देश SL.No 73 EC पत्र संख्या 437/6/2006-PLN (vol.II)

आदर्श आचार संहिता
वाहनों का प्रयोग

- स्थानीय प्रशासन गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए चुनाव उम्मीदवारों के साथी लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर सख्त निगरानी रखेगा।
- सीईओ राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए वीडियो वैन के लिए परमिट जारी करेगा।
- एक चक्र रिक्शा भी एक वाहन है, यदि इसे प्रचार के लिए उपयोग किया जाता है तो व्यय को उम्मीदवार के खाते में माना जाना चाहिए

(निर्देश एसएल संख्या 76, सीओआई -2011, ईसी पत्र संख्या 437/6/2006-पीएलएन-III, दिनांक 23/11/2007)

(निर्देश एसएल संख्या 110, सीओआई -2011, ईसी पत्र संख्या 437/6 / आईएनएसटी / 2010-सीसी और बीई, दिनांक 5/10/2010)

आदर्श आचार संहिता-
वाहनों का प्रयोग

- किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव की अधिसूचना की तारीख से, जिला प्रशासन चुनाव उम्मीदवारों, प्रतिभागी उम्मीदवारों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर नजर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

- अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त निर्धारित सीमाओं से अधिक वाहनों के एक काफिला में चलता है, तो काफिले टूटने के बावजूद स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव समाप्त होने तक ऐसे वाहनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे।

आदर्श आचार संहिता-
वाहनों का प्रयोग

- **चुनाव उम्मीदवारों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारियों के द्वारा चुनाव अभियान में उपयोग किए जा रहे सभी वाहनों का विवरण प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता है, जिन्हें विशेष रूप से प्रचार से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।**

- **किसी भी अतिरिक्त वाहन की कोई और तैनाती केवल वाहनों की वास्तविक तैनाती से पहले उम्मीदवारों या उनके एजेंट द्वारा इस प्रभाव को नोटिस के बाद ही हो सकती है।**

- **चुनाव अभियान के लिए तैनात वाहनों के ब्योरे के बारे में क्षेत्रों का विवरण जिसमें वाहन संचालित होगा, को भी व्यक्त किया जाना चाहिए**

आदर्श आचार संहिता-

वाहनों का प्रयोग

- **प्राप्त किए गए ब्योरे को चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए।**

- **कोई भी वाहन जिसे जिला प्रशासन के साथ प्रचार करने के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है, जिसे अभियान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, को उम्मीदवार के लिए अनधिकृत प्रचार माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX ए के दंड प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है और इसलिए तुरंत जब्त किया जाएगा ।**

(निर्देश सं- 59 ईसी पत्र संख्या 437/6/9 7-पीएलएन-III दिनांक 18.03.1997)

आदर्श आचार संहिता-

राजनैतिक दलों के कार्यालय

- सरकार द्वारा बिजली या उसके उम्मीदवारों में पार्टी द्वारा एकाधिकार नहीं किया जाएगा, उपयोग उचित तरीके से किया जाएगा।

- कोई भी पार्टी या उम्मीदवार अभियान के कार्यालय के रूप में या चुनाव प्रचार के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए सरकारी आवास का उपयोग करने या अनुमति देने की अनुमति नहीं देगा।

- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई कार्यकर्ता अभियान कार्यालय स्थापित करने के लिए सर्किट हाउस, डाक बंगला का उपयोग नहीं कर सके।

आदर्श आचार संहिता-

पर्चों, बैनरों और पोस्टरों का मुद्रण

- प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, केवल नेटवर्क और एफएम रेडियों पर कडी नजर रखी जाएगी।
- किसी भी प्रसारण से पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पूर्वानुमोदन।
- मीडिया विज्ञापन सहित सभी मुद्रित सामग्री में प्रेस या प्रकाशक का नाम और पता प्रतियों की संख्या और प्रभारित धनराशि का उल्लेख होगा और इसे तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा।
- प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम 1951 की धारा 127 क, के दायरे में आएंगे।
- मुद्रित सामग्री की प्रति और प्रकाशक की ओर से घोषणा प्रिंटर द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी।

आदर्श आचार संहिता-
मीडिया

- किसी भी राजनीतिक दलों द्वारा टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क पर प्रसारण के लिए सभी विज्ञापन मीडिया प्रमाणन (एमसीएमसी) पर निगरानी समिति द्वारा देखा, जांच और प्रमाणित किया जाना चाहिए।

- विज्ञापन के प्रमाणीकरण पर शिकायतों में भाग लेने के लिए सीईओ को भी अपने स्तर पर समिति का गठन करना होगा।

(निर्देश एसएल संख्या 77, COI-2011, EC पत्र संख्या 50 9/75/2004 / JS-I दिनांक 15/04/2004)

आदर्श आचार संहिता-

मतदाताओं का परिवहन

- मतदाताओं के मुफ्त परिवहन के लिए वाहनों की भर्ती / खरीद / उपयोग भ्रष्ट अभ्यास है।
- प्रत्येक प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार अपने वाहन के लिए एक वाहन के लिए हकदार है, चुनाव एजेंट के लिए एक वाहन और पूरे वाहन विधानसभा के लिए अपनी पार्टी या कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन।
- उपरोक्त संकेतित वाहनों के लिए परमिट डीएम / आरओ द्वारा जारी किया जाएगा और वाहनों पर प्रदर्शित करना होगा।
- परमिट को छोड़कर कोई वाहन उपयोग के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अभ्यर्थियों / श्रमिकों / दलों के लिए चार से अधिक पहियों वाले वाहन नहीं होंगे
- प्रत्याशी सहित 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आदर्श आचार संहिता-

सरकारी खर्चे पर पार्टी

- मंत्री द्वारा 'इफ्तर पार्टी' इत्यादि जैसे धार्मिक अवसर पर राज्य लागत पर किसी भी मनोरंजन पर प्रतिबंध है (निर्देश SL.NO.10, EC पत्र सं. ECI / GE98-437/6 /BR/ 98-PLN-III DATE 29.01-1998

आदर्श आचार संहिता

साधारण आचारण-

1 किसी दल या अभ्यार्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं कराना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विदयमान मतभेदों को बढाने या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें।

2 जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए तब वही उनकी जातियों और कार्यक्रम पूर्ववत और कार्य तक ही सिमित होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं किया जाना चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रिया कलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड मरोडकर कही गई बातों पर आधारित हों।

3 मत प्राप्त करने के लिए जाति या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई हीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

आदर्श आचार संहिता

साधारण आचरण-

4 सभी राजनैतिक दलों या अभ्याथियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जिदंगी के अधिकार का आदर करें चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरूध क्यों न हो, व्यक्तियों के विचारों या कार्य करने का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए।

5 किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यार्थी को ध्वज दंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाना, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उनकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अवज्ञा अपने अनुयायियों को नहीं।

6 राजनैतिक दलों और अभ्याथियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें या उन्हे भंग न करें। एक राजनैतिक दल के कार्यकताओं या शुभ चिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के पर्चे वितरित करके गडबडी पैदा नहीं करना चाहिए। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से हाकर नहीं ले जाना चाहिए जिन स्थानों पर दूसरे दल के कार्यकर्ता द्वारा हटाए नहीं जाने चाहिए।